न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 19/2015/अपील

1. गंगाराम पुत्र नन्दाराम उम्र 50 वर्ष जाति बलाई निवासी सामेर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान) ।

—अपीलान्ट

ब ना म

1. बजरंगलाल पुत्र स्व. गिरधारीलाल
2. धन्नी पत्नि स्व. मंगलाराम
3. भंवरी } पुत्रियां मंगलाराम
4. छोटी }
5. राजू पुत्र स्व. नाथूराम
6. संतरा पुत्री स्व. नाथूराम
7. खेमाराम पुत्र स्व. सुवाराम
8. पूरण पुत्र स्व. सुवाराम
9. मनोहरी } पुत्रियां स्व. जीवण राम
10. धापू }

समस्त व्यस्क जाति बलाई निवासीगण सामेर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

11. ग्राम पंचायत अलोदा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अलोदा पं.स. दांतारामगढ जिला सीकर ।
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं 117 दिनांक 17.01.1969 बतस्दीक ग्राम पंचायत, अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील अपीलांटस की ओर से
2. श्री कमल कुमार शर्मा वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5,6,7,9,10 की ओर से ।
3. रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4, 11 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही ।
4. रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 का नाम हजफ ।

निर्णय

दिनांक— 09.07.2016

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सामेर पटवार मण्डल अलोदा के खसरा नम्बर 211, 446, 453, 454, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 459, 741, 85, 86 के अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 10 की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमियां हैं । उपरोक्त खातेदारी भूमियां अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 10 के पूर्वज जीवणराम पुत्र सेडूराम के नाम दर्ज रेकार्ड थी उक्त जीवणराम का देहान्त करीब 46—47 वर्ष पूर्व हो गया था एवं अपीलान्ट के पिता नन्दाराम का देहान्त अपीलान्ट के दादा

उप खण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

जीवणराम से पहले ही हो गया था उपरोक्त भूमियों का जीवणराम की विरासत का नामान्तकरण भरते समय जीवणराम के सभी विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई तथा ना ही उपरोक्त भूमियों के कब्जे की जांच की गई नामान्तकरण अकेले रेस्पोन्डन्ट संख्या 1 से 8 के पूर्वजों सुवा, मंगला, नाथू व लिछमण के नाम से नामान्तकरण संख्या 117 दिनांक 17.01.1969 भरा गया जिसमें अपीलान्ट के पिता का नाम दर्ज नहीं होने से नामान्करण निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर अपीलान्ट के पिता व अपीलान्ट के हक अधिकारों के अनुसार नामान्तकरण पुनः दर्ज करवाया जावे ।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. .5, 6, 7, 9, 10 की ओर से वकील श्री कमल कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया । तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4, 8, 11 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वकील अपीलान्ट के निवेदन पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 का नाम हजफ किया गया ।

3. बहस वकील अपीलांट की सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात ग्राम सामेर पटवार मण्डल अलोदा के खसरा नम्बर 211, 446, 453, 454, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 459, 741, 85, 86 का ना.करण सं. 117 दर्ज कर ग्राम पंचायत अलोदा द्वारा कानूनी भूल की गई है अपीलान्ट के दादा की मृत्यु से पूर्व ही अपीलान्ट के पिता की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए अपीलान्ट के दादा जीवणराम की विरासत का नामान्तकरण भरते समय जीवणराम के समस्त विधिक वारिसों की जांच किए बिना ही अपीलान्ट के पिता नंदा का नाम नामान्तकरण में दर्ज नहीं किया गया इसलिए नामान्तकरण संख्या 117 को निरस्त किया जावे । वकील रेस्पोन्डेन्ट ने राजीनामा प्रस्तुत कर अपील में वर्णित तथ्यों को सही बताया तथा नामान्तकरण को निरस्त करने का निवेदन किया ।

4. हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 117 दिनांक 17.01.1969 बतस्दीक ग्राम पंचाचत, अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवरण अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर ना.करण सं. 117 दिनांक 17.01.1969 बतस्दीक ग्राम पंचाायत, अलोदा निरस्त किया जाता है एंव अपील तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि जीवणराम पुत्र सेडूराम के विधिक वारिसों की जांच कर विधिक वारिसों के नाम पुनः नामान्तकरण भरवाकर तस्दीक किया जावे। पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 09.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner